बिहार विधान-सभा

(भाग—2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

वृहस्पतिवार, 30 अगस्त, 1984 ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	1
शून्य काल की चर्चाएं :	2-10
(क) बाढ़ से राहत	
(ख) डाक एवं पुलिस में मुठभेड़	
(ग) ग्रामीणों की हत्या	
(घ) हत्या एवं डकैती	
(ङ) गांवों में लगातार हत्याएं	
(च) लिम्का पीने से खूनी पेचिश	
(छ) फौजी जवान की पीटाई	
(ज) पुल का निर्माण	
(झ) स्वास्थ्य विभाग के प्रशासा पदा० पर कार्रवाई	
(ञ) खाद की व्यवस्था	
(ट) सबस्टेशन का निर्माण	
(ठ) गेहूं की आपूर्ति	
(ड) सड़क का निर्माण	
(ढ) गंगा का कटाव	
(ण) राशि का घोटाला	

होने के कारण स्थानीय किसानों एवं ग्राम जनता को काफी दिक्कत होती है। अतः सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त कच्ची सड़क को जिसकी दूरी मात्र एक किलोमिटर होती है, अविलम्ब पक्कीकरण कर पक्की सड़क से जोड़ा जाय ताकि समस्तीपुर जिला से बेगूसराय जिला का सम्पर्क बन जाय।

(ढ) गंगा का कटाव ।

श्री रामजी प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं भोजपुर जिला के बड़हार प्रखंड के नेकनाम टोला का 500 घर एवं दलोनीपर का 100 घर एवं सोहरा त्रिभुवानी का 50, 50 घर तीन दिनों के अन्दर गंगा में चला गया। पांच आदमियों एवं 20 पशुओं को भी गंगा ने बहा लिया। मैं दो वर्षों से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता रहा पर बचाने को कोई भी कारंवाई नहीं हुई। करोड़ों रुपया की क्षति हुयी है, सरकार अविलम्ब युद्ध स्तर पर इसकी व्यवस्था करा कर गृह-विहिन परिवार की रक्षा करे

(ण) राशि का घोटाला ।

श्री जगदीश शर्मा—अध्यक्ष महोदय, बिहार सैन्य पुलिस 5 (बी० एम० पी० 5) के भू० पूर्व समादेष्टा श्री रामहर्षदास द्वारा बीसों लाख रुपये का घोटाला किया गया है। इसमें उनके साथ वहां के कई जमादार एसोशियेशन के अध्यक्ष भी शामिल हैं। उषा पंखा के नाम पर घटिया किस्म के पखे का खरीद की गयी। उषा कंपनी को जानकारी मिलने पर उसने उसकी जांच कराई जांच से यह साबित हुआ कि उषा कम्पनी के वे पंखे नहीं थे बल्कि उस पर उषा नाम लिख दिया गया। उषा कम्पनी ने उस जालसाजी के विरुद्ध स्थानीय गर्दनीबाग थाने में एक मुकदमा भी दर्ज किया है। वर्तमान कार्यकारी समादेष्टा द्वारा जब उन गड़बड़ियों की छानबीन की गयी तथा उसके आधार पर ठगी जालसाजी, ट्रेड मार्क की चोरी एवं वित्तीय अनियमिता बरतने के आरोप में सम्बन्धित व्यक्तियों पर कारंवाई की गयी तो उनके जो कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिये तरह-तरह के हंगामें किये जा रहे हैं। बी० एम० पी० 5 में किये गये घोटाले से संबंधित व्यक्तियों पर कठोर कारंवाई करने के लिये सरकार का हम ध्यान आकृष्ट करते हैं।

(त) शांति पूर्ण प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी ।

श्री तुलसी सिंह—अध्यक्ष महोदय, आंध्र में जनतंत्र की हत्या के विरोध में कल दिनांक 19 अगस्त, 1984 को होनेवाली बिहार बंद के सिलसिले में शांतिपूर्ण बंद समर्थकों पर रोड़े बरसाये गये तथा उन्हें नाजायज ढंग से उन्हें भा० दं० वि० की धारा